International Journal of Enhanced Research in Educational Development, IJERED,
ISSN: 2320-8708, Vol. 13 Issue 2, Mar.-Apr, 2025

1952 से 2019 तक भारतीय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी

डॉ. भुपेन्द्र कौर

सहायक प्राध्यापक, शिक्षाशास्त्र विभाग, आईएफटीएम विश्वविद्यालय, मुरादाबाद (यू0पी0)

सार–

महिलाएँ राजनीतिक के क्षेत्र में अपनी सशक्त उपस्थिति करा कर देश के नेतृत्व में भागीदारी का सपना साकार करने का प्रयास कर पायेंगी तथा विभिन्न राजनैतिक पदों पर पुरूषों के बराबर की हिस्सेदारी प्राप्त करके भारत को विश्व के मानचित्र पर सशक्त देश के रूप में स्थापित करने की जिम्मेदारी उठाने में समर्थ व सफल हो पायेगी। इस प्रकार न केवल राष्ट्रीय अपितु अंतर्राष्ट्रीय पहचान बना स्त्री अधिकारिता को परिपुष्ट कर नेतृत्व की कुशल योग्यता हासिल कर पायेंगी।

मुख्य शब्द– परिपुष्ट, प्रतिनिधित्व, अभिव्यक्ति, महिलाशक्ति, उत्तरदायित्व।

प्रस्तावना–

वर्तमान भारतीय समाज में अनेक ऐसी महिलाएँ है, जिनकी अहम् भूमिका से हम परिचित है। स्वतंत्रता आंदोलन के समय से आजाद भारत में सरकार चलाने तक में भारतीय महिलाओं ने बढचढ कर भागीदारी निभाई है। बात राजनीति की हो या खेल की, घरेलू काम की बात हो या फिर चाँद पर पहुचने की महिलाएँ हर क्षेत्र में आगे रही है, आज अनेक महिलाएँ है जो राजनीति में अपनी अहम् भूमिका अदा कर रही है। हालांकि जब महिलाओं की राजनीति में भागीदारी की बात आती है तो तस्वीर का एक बेहद निराशाजनक चेहरा सामने आता है। विश्व स्तर पर देखा जाये तो 191 देशों में भारत का स्थान 141वाँ है।

स्वतंत्रता से उपरान्त भारतीय राजनीति में महिलाओं (वोटरो) की स्थिति–

भारत में आजादी के बाद केन्द्र सरकार के 20 कैबिनेट मिनिस्टरों में केवल एक महिला (राजकुमारी अमृत कौर) थी, जिन्हें हेल्थ मिनिस्टर का कार्यभर सौंपा गया। इसके विपरीत लाल बहादुर शास्त्री की सरकार में एक भी महिला नही थी। पहले के मुकाबले वर्तमान समय में महिलाओं की स्थिति बेहतर है।

भारतीय महिलाओं ने 20 वीं शताब्दी के आरम्भ में राजनीति में भागीदारी और अधिकारों के लिए अनेक संघर्ष किये। 1947 में देश के स्वतंत्रता प्राप्ति और विभाजन के साथ खून खराबे ने जनसंख्या विस्थापन के बाद धर्म निरपेक्ष ने समन्वित राजनीति को बढावा दिया। इस समय अनेक महिलाओं (मध्यम वर्ग) को विभिन्न सेवाओं व शिक्षा के क्षेत्र में प्रवेश करने के अवसर प्राप्त हुए। इस समय सरकार ने महिलाओं के उत्थान के लिए अनेक कार्यक्रम बनाए, वैसे ये कार्यक्रम 'समाज कल्याण' के परिपेक्ष्य में चलाये गये थे। इस अवधि में महिला आन्दोंलन इतना सक्रिय नही रह गया था। महिलाओं का मोह भंग तब हुआ, सामान्य नागरिक कोड जो की महिलाओं को कानूनी समानता प्रदान करता है, लागू नही किया गया और हिन्दू कोड बिल भी कुछ कटा छटा रूप ही पारित किया हुआ।

महिलाओं की स्थिति सम्बन्धी समितियों ने कहा राष्ट्रीय आंदोलन और महात्मा गॉधी, ये ऐसी प्रमुख शक्तियाँ थी जिन्होंने महिलाओं के लिए राजनीतिक समानता प्राप्त करने का काम किया। इन दोनों ने महिलाओं को

राजनीतिक अधिकारों एंव उत्तरदायित्व के प्रति जागरूक किया। 19 वीं शताब्दी का सुधार आन्दोलन और महिलाओं के लिए शिक्षा का प्रसार उनकी स्थिति को सुधारने एंव परिवार को सुदृढ करने से ज्यादा सामाजिक संगठन के आधारभूत करने के रूप में रखा गया।

अगर महिला वोटरो की बात करे तो सन् 1980 में यह संख्या 51 प्रतिशत थी, 2014 में यह संख्या 66 प्रतिशत हो गई, देखा जाये तो सन् 1980 से 2014 तक महिला वोटरों की संख्या में केवल 15 प्रतिशत की बढोतरी रही। सन् 1990 में यह संख्या धीरे–धीरे बढी जिसके कारण 2014 के लोकसभा चुनाव में सबसे अधिक महिलाओं ने मतदान किया। लेकिन इसके बाबजूद भी स्थिति को अभी तक बेहतर नही किया जा सका, महिला वोटरों की स्थिति अभी भी कमजोर बनी हुई है, इसके साथ ही जो महिलाएँ वोट करने जा रही है उनमें एक बडा वर्ग अपनी मर्जी से वोट का निर्णय नही कर पाती है। उन्हें वोट किस पार्टी को देना है इस बात का फैसला घर के पुरूषों के द्वारा ही लिया जाता है, वे उन्हीं के आदेशों का पालन करती है।

अनेक महिलाओं से बात करने पर पाया जाता है कि उनके घर के सारे सदस्य एक ही पार्टी को वोट देते है जिसका निर्णय घर के पुरूष करते है वो ही हमे बताते है कि हमें किस पार्टी को वोट देना है, अगर हम कुछ कहते है तो हमे यही कहा जाता है कि महिलाएँ सीधे तौर पर राजनीति से जुडी नही है इस वजह से इसका फैसला घर के पुरूष करेगे।

लोकसभा चुनावों में महिलाओं की भागीदारी (1952 से 2019) तक

वर्ष	कुल सीटो की संख्या	महिला उम्मीदवार	निर्वाचित	सफलता का प्रतिशत
1952	489	—	—	—
1957	494	45	22	48.9
1962	494	66	31	47.0
1967	520	67	29	43.3
1971	518	86	21	24.4
1977	542	70	19	27.1
1980	542	143	28	19.6
1984	542	162	42	25.9
1989	543	198	29	14.7
1991	543	326	37	11.4
1996	543	599	40	6.7
1998	543	274	43	15.7
1999	543	284	49	17.3
2004	543	355	45	12.7
2009	543	442	58	13.2
2014	543	661	66	12.45
2019	545		78	14.05

भारत में आज भी देखा जाये तो आबादी के हिसाब से महिलाओं की राजनीति में भागीदारी काफी कम है, उतनी नही है जितनी की होनी चाहिए। इस समय संसद के दोनों सदनों में कुल मिलाकर 94 महिला सांसद है, जो कि कुल सदस्यता का लगभग 12 प्रतिशत है। लेकिन वैश्विक औसत लगभग 23 प्रतिशत है। विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व और भी कम है, जो काफी चिन्ताजनक है।

12 सितंबर 1996 को पहली बार भारतीय समाज में महिलाओं के प्रति उपेक्षापूर्ण व्यवहार की समाप्ति करके, उनकी राजनीतिक स्थिति को मजबूत करने के लिए लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक प्रस्तुत किया गया।

लगभग 22 वर्षो से भारत की प्रत्येक सरकार ने संसद के दोनों सदनों में (लोकसभा तथा राज्यसभा) और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण लागू करने का प्रयास किया गया जो अभी तक असफल है। दुनिया के कई देशों के संविधान में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गयी और विधेयक के द्वारा कई देशों में राजनीतिक दलों के स्तर पर इसे लागू किया गया। भारतीय कामकाजी महिलाओं की राजनीति में यह भागीदारी 28 प्रतिशत है।

राजनीति में भारतीय महिलाओं की भागीदारी कम होने के पीछे पितृसत्तात्मक ढांचे का मौजूद होना है। यह न केबल महिलाओं को राजनीति में आने के लिए प्रेरित करता है बल्कि उन्के मार्ग में आने वाली बाढाओं को भी कम करता है। महिलाओं की स्वतंत्र सोच को विकसित न हो में पितृसत्तात्मक परिवार सबसे बडी बाधा है, जिसकी वजह से महिलाओं को अपनी बात स्वतंत्र रूप से रखने का मौका नही मिलता।

प्रत्येक नागरिक को देश का संविधान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है, लेकिल दूसरी तरफ घर की महिलाओं को परिवार में पुरूषों के हिसाब से अपनी राय (सोच) बनानी पडती है। अगर कोई महिला अपनी मर्जी से मतदान भी करती है तो उसके ही परिवार के द्वारा उसे डराया जाता है कि लोग क्या कहेगे, लोग दुश्मन बन जायेगे, तुम महिला हो कैसे इन सब का मुकाबला करोगी आदि। मानव समाज के विकास में सभ्यता के प्रारम्भ से ही आधी आबादी की अहम् भूमिका रही है। वर्तमान समय में आधी आबादी के प्रति निर्मित की गई दकियानूसी सोच और परम्परा को बदलना पडेगा।देश के प्रत्येक नागरिक को अपने–अपने हिसाब से राजनीतिक विचारों को व्यक्त करने का पूर्ण अधिकार है। इसके लिए हमें देश की महिलाओं को ऐसा माहौल प्रदान करना होगा, जिसके कारण उनकी स्वतंत्र सोच का विकास हो सके।

महिला आरक्षण में बाधाएं–महिलाओं के आरक्षण की बात को लेकर कुछ राजनीतिक दलो का मानना है कि पिछडी, दलित और अल्वसंख्यक महिलाओं के लिए आरक्षण की बाज किसी भी प्रकार से सही नही है। संसद पर नजर डालने पर साफ हो जाता है कि वर्तमान समय में संसद में सबसे ज्यादा पिछडी जाति के सांसदों की है। अगर फिर भी महिला आरक्षण विधेयक के मौजूदा प्रारूप को स्वीकार किया जाये तो 1/3 महिला प्रतिनिधियों को आरक्षण मलने लगेगा और ऐसे में बहुसंख्यक पिछडा समुदाय की महिलाओं का प्रतिनिधि संसद में अपने–आप बढ जायेगा। जहाँ तक दोहरी सदस्यता वाली 20 फीसदी सीटों को बढाने की बात है, तो इस प्रस्तसव को लागू करने के बाद भी महिलाओं के साथ भेदभाव बना रहेगा, क्योंकि इसमें सिर्फ 20 फीसदी पर सदस्यता करने का प्रस्ताव है। लेकिन इससे संसदों के बीच भी गैरबराबरी और वर्ग भेदभव भी बढेगा, मतदाता भी दे जगह बटेगा। इसके साथ ही कमेटीयों की सदस्यता से लेकर फंड के बंटवारे, हिसाब को लेकर दोनो में मनमुटाव बना रहेगा। लेकिन जब इस प्रकार की व्यवस्था होगी तो ज्यादातर महिलाएं ही चुनकर आयेगी, जिससे महिलाओं के प्रति भेदभाव की स्थिति ओर बढ जायेगी, लेकिन इससे यह होगा की महिला सांसद अकेले अपने क्षेत्र को नही संभाल पायी इसलिए उसे किसी पुरूष के साथ जोड दिया गया। हालॉकि लम्बे इन्तजार के बाद 9 मार्च 2010 को महिला आरक्षण विधेयक (लोसभा और राज्यों की विधान सभाओं) में 33 प्रतिशत आरक्षण पीरत हो चुका है।

73 वॉ एवं 74 वॉ संशोधन तथा राज्य अधिनियम–24 अप्रैल सन् 1993 में 73 वॉ संशोधन लागू हुआ, जिसके लिए संविधान में नया अध्याय 9 जोडा गया एवं 1 जून 1993 74 वॉ संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान के भाग 9–में (ए) जोडा गया, इस संशोधन के द्वारा ग्रामीण और शहरी भारत में स्थानीय शासन की नीवं डाली गयी। उसका ढॉचा, उसकी शक्तियां तथा कार्यों का सुदृढिकरण किया गया और उन्हें संवैधानिक बताया गया, इसी में महिलाओं के लिए 1/3 स्थान का आरक्षण किया गया। इससे भारत के लोकतंत्र में त्रि–स्तरीय सशक्तिकरण की प्रजातात्रिक पद्धति को बल मिला, जिससे विश्व का ध्यान आकर्षित हुआ।

73 वॉ एवं 74 वॉ संशोधन की विशेषताएँ–

- इस संशोधन ने दो नये भागों को संविधान में शामिल किया, भाग 9 **'पंचायत'** (73 वें) और भाग 9 ए **'नगरपालिकाएँ'** (74 वें)।
- लोकतांत्रिक प्रणाली की बुनियाद इकाइयों के रूप में ग्राम सभाओं और वार्ड समितियों को रखा गया।

- उन राज्यों को छोडकर जिनकी जनसंख्या 20 लाख से कम हो ग्राम, मध्यवर्ती (मंडल या तालुका) और जिला स्तरों पर पंचायतों की **त्रि–स्तरीय प्रणाली** लागू की जायेगी।
- सभी स्तर की सीटों को प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के माध्यम से भरा जायेगा।
- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण किया जायेगा।
- उपलब्ध सीटों की कुल संख्या में से 1/3 सीटे महिलाओं के लिए आरक्षित होगी।
- सभी स्तरों पर अध्यक्षों के 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है (अनुच्छेद 243D)।
- प्रतिनिधियों के लिए एक **समान 5 वर्षीय कार्यकाल** निर्धारित किया गया एवं कार्यकाल की समाप्ति से पहले नए निकायों के गठन के लिए निर्वाचन प्रक्रिया पूरी करना आवश्यक है।
- निकायों के विघटन की स्थिति में 6 माह के अन्दर निर्वाचन कराना अनिर्वाय है अनुच्छेद (243E)।
- मतदाता सूची के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के लिए **प्रत्येक राज्य में स्वतंत्र चुनाव आयोग** होंगे अनुच्छेद (243K)।
- आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिये योजनाएँ नैयार करने और इन योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए पंचायतों को शक्ति व प्राधिकार प्रदान करने के लिए राज्य राज्य विधान मंडल विधि बना सकेगा अनुच्छेद (243G)।
- पंचायतों और नगर पालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं को समेकित करने के लिए 74 वें संशोधन में एक **जिला योजना समिति** का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद (243ZD)।
- राज्य सरकारों से बजटीय आवंटन, कुछ करों के के राजस्व की साझेदारी, करों का संग्रहण और इससें प्राप्त राजस्व की अवधारण, केन्द्र ारकार के कार्यक्रम एवं अनुदान, केंद्रिय वित्त आयोग के अनुदान आदि के संबंध में उपबंध किये गए हैं अनुच्छेद (243H)।
- प्रत्येक राज्य में एक **वित्त आयोग का गठन करना ताकि उन सिद्धांतों का निर्धारण किया जा सके जिनके आधार** पर पंचायतों और नगरपालिकाओं के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए (243I)।
- संविधान की 11 अनुसूची पंचायती राज निकायों के दायरें में 29 कार्यों को शामिल करती है।

राजनीति में महिलाओं को कमजोर बताए जाने को लेकर दिए जाने वाले तर्क–

- महिलाओं के जीतने की उम्मीद बहुत कम होती है। लेकिन देखा जायें तो पिछले तीन लोकसभा चुनावों में महिलाओं का जीतने का प्रतिशत पुरूषों से ज्यादा रहा है। सन् 2014 के लोकसभा चुनाव में महिलाएँ पुरूषों से आगे रही। 16 वी लोकसभा चुनाव की जीत के बाद भी कई पार्टीयाँ अभी भी महिलाओं को कोई महत्व नही दे रही है, जिसका असर महिलाओं की राजनीति में भागी दारी पर भी पडता है।

- पुरूषों के मुकाबले महिलाएँ राजनीति को समय कम दे पाती है जिसकी मुख्य वजह है परिवार की जिम्मेदारी। अगर महिलाएँ पुरूषों की तरह घर की जिम्मेदारी से मुक्त हो तो वो भी राजनीति में सक्रिय हो सकती है, जिसके पीछे की एक वजह यह भी है कि पुरूष घर के बाहर राजनीति करते है लेकिल महिलाएँ घर के बाहर और जरूरत पडने पर वो क्षेत्र में घर के अन्दर जाकर महिलाओं से भी मिलती है, उनकी समस्या भी सुनती और समाधान करने का प्रयास भी करती है।

- लोगो की सोच है कि महिलाओं को राजनीति की समझ कम होती है अगर वो जीत भी जाये तो उन्हें ऐसे क्षेत्रों तक सीमित रखा जाता जैसे कि महिला कल्याण विभाग, शिशु विभाग आदि। महिलाओं का राजनीति में कम होना इस बात को भी दर्शता है कि उन्हें कैबिनेट में बटवारे के समय फाइनेस, डिफेंस जैसे क्षेत्रो से अलग रखा जाता है। उन्हें कुछ गिने चुने विभाग ही सौपे जाते है।

राजनीति में महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियां–

महिलाओं का राजनीति में कम भागीदारी का एक कारण यह भी है कि उन्हें काबिल होने के बावजूद सही से मौका नही मिल पाता। पुरूषों के मुकाबले महिलाओं में बेहतर राजनीतिक क्वालिटी देखी जाती है, लेकिन फिर भी इन्हें पुरूषों से कम ही आंका जाता है। एक महिला को राजनीति में होने वाली समस्याओं के विषय में बीजेपी यूथ की लीडर अमृता कहती है कि पीआर पुरूष स्तर पर जितना आसानी से कर सकता, हम महिलाओं को उसमें समस्या का सामना करना पडता है। जिसमें काम न करने की सबसे बडी वजह है कि फील्ड में अधिकतर पुरूष ही है, वो कही भी कैसे भी बैठते है, जबकि महिलाओं के साथ अनेक बाधाएं होती है।

राजनीति में भाई भतीजा वाद (नेपोटिज्म) और महिलाएँ–राजनीति में अनेक महिलाएँ चुनाव जीत तो जाती है, लेकिन क्या करना है, क्या फैसला लेना है, इन सब का निर्णय उनके घर के पुरूष ही करते है। लोकसभा और राज्यसभा चुनाव के मुकाबले यह स्थिति पंचायत चुनावों में अधिक सामने आती है।

राजनीति में भाई भतीजा वाद पर इजया यादव का कहना है कि मुख्या के तौर पर घर के पुरूष महिलाओं पर हावी होते है जिसका कारण ग्रामीण परिवेश और उस महिला का कम शिक्षित होना है, देखा जाता है कि विधान सभा स्तर पर ऐसा नही है। राजनीति एक मनुष्य के बस की बात नही है इसमें परिवार के सहयोग की आवश्यकता होती ही है। उनका कहना है कि कोई भी महिला MLA सबकुछ अपने आप कर सकती है, लेकिन फिर भी उसे एक सहारे की जरूरत विशेषकर (सिक्योरिटि) के लिए पडती है।

भाई भतीजा वाद को लेकर मुखिया लेवल पर अनेक समस्याएं है, जिसका कारण है कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं घर से बाहर ज्यादा निकलती नही है, विपरीत इसके आपको एक निश्चित प्रतिशत में महिला कैडिडेट को लाना ही होता है। इस प्रकार देखा गया है कि जो पुरूष राजनीति में अपना अस्तित्व और पहुचं बनाना चाहते हैं, वो अपनी पत्नी या घर की किसी महिला को खडा करते हैं, ऐसे करना उनकी मजबूरी है तथा परिस्थिति को भी अपने अनुसार करना है। विधानसभा और लोकसभा स्तर पर भाई भतीजा वाद की बात को लेकर देखा जाये तो, इस स्तर पर यह समस्या कम ही देखने को मिलती है, लेकिन बिल्कुल नही मिलती ऐसा नही है। कोई नेता अगर किसी वजह से चुनाव नही लड पाता, तो ऐसे में वह अपनी पत्नी को खडा करता है, वैसे यह स्थिति बहुत ही कम देखने को मिलती है।

सुझाव–

पिछले आकडे देखने पर यह जानकारी प्राप्त होती है कि महिलाएं न तो राजनीति से पूर्ण रूप से अलग हो सकती है और न ही इस पर विश्वास कर सकती है।, उन्हे अपनी शक्ति और संग्ठन को अधिक मजबूज करना होगा। राजनीति के निर्णयों तक अपनी पहुचं बनानी होगी, इसके साथ ही राजनीति को महिलाओं के लिए न्यायोचित, सम्मान और समान अधिकार देने वाली संस्था के रूप में बदलना होगा। जिसके लिए महिलाओं को राजनीति में और अधिक सक्रिय होना होगा। जो महिलाएं उच्च शिक्षित है वो राजनीति में अच्छी व सक्रिय भूमिका अदा कर रही है लेकिन जो महिलाएं शिक्षा के क्षेत्र में कमजोर है उनकी भागीदारी भी कम या बाधाओं युक्त है। इसके लिए सबसे पहले जरूरत है महिलाओ को शिक्षित करने की और अन्य संदर्भ में आरक्षण में लाखों महिलाओं के निर्वाचन में भाग लेने का मौका प्रदान किया है, यह सही है कि महिलाएं कमजोर है तथा अपने परिवार के पुरूषों द्वारा खडी की जाती है या उनके नियंत्रण में रहती है, जिन पुरूषों ने वर्षो तक सत्ता का प्रयोग किया है, और अब भी उससे दूर नही होना चाहते। लेकिन फिर भी कुछ महिलाओं नें चुनौतियों को स्वीकार किया, और कुछ महिलाओं का ऐसी सीटो पर निर्वाचन हुआ जो महिलाओं के लिए आरक्षित ही नही थी। निर्वाचन के दौरान महिला उम्मीदवार को अनेक ऐसी परेशानियों जैसे–हिसा, चरित्र हनन, भ्रष्टाचार आदि का सामना करना पडता है। निर्वाचन होने के बाद भी समस्या का कोई समाधान नही होता, अतः अनेक दूसरी समस्या उत्पन्न हो जाती है जैसे–जोड तोड की राजनीति तथा सत्ता सौपनें में सरकारी अधिकारीयों की आनाकानी, जिसकी वजह से महिलाओं को समर्थन का आधार प्राप्त नही होता। इस प्रकार महिलाओं को उन चुनौतियों का सामना करने के लिए मजबूत होना है सशक्त बनना है जो पंचायती व्यवस्था से उत्पन्न होती है वही दूसरी तरफ राजनीति के

माहौल को संवेदनशील बनाना है ताकि महिलाओं का जरूरत पडने पर वो इसका लाभ प्राप्त कर सके और इसका सदुपयोग हो सकें।

निष्कर्ष–

भारतीय महिलाओं ने आजादी के बाद से अनेक क्षेत्रो में लंबा सफर तय किया है, लेकिन अभी भी मंजिल से कोसो दूर है। समय की रफ्तार के साथ हमारी रफ्तार बहुत धीमी है, समय के साथ इस दौड में आगे बढा जा सकता है अब भारतीय समाज अपनी पुरानी मानसिकता से निकल कर महिलाओं को भी पुरूषों के बराबर अधिकार प्रदान करेगा। वैसे तो भारतीय संविधान में स्त्री और पुरूष को समान अधिकार दिए गये है लेकिन अभी भी समाज अपने नियमो के आधार पर, महिलाओं को संचालित करता है, जिसमें बदलाव की विशेष आवश्यकता है। इसके साथ ही इस बात पर भी बल दिया जाना चाहिए कि हमें महिलाशक्ति का सहायक बनना है। संसार की अन्य महिलाओं की तरह भारतीय महिलाएँ भी अपनी समस्या को सुलझाने की क्षमता रखती हैं, उन्हें बस सही और उपयुक्त अवसर एवं प्रेरणा की आवश्यकता है। महिला को कोई सजावट की वस्तु ना समझकर मनुष्य समझों। जिससे की महिलाएँ भी अपनी बात को खुलकर बिना किसी संकोच के समाज के सामने रख सके।

संदर्भ ग्रन्थ–

- महिलाएं तथा शासन राज्य की पुनकल्पना एक रिर्पोट सोसाइटी फॉर डवलपमेंट आल्टरनेटिवस फॉर विमेन, नई दिल्ली, 2002, पृ. 9.–10, 24, 32–33, 55.
- डॉ. सरला गोपालन, समानजा की ओर अपूर्ण कार्य, भारत में महिलाओं की स्थिति 2001, राष्ट्रीय महिला आयोग, 2002. पृ. 281–283, 292, 294.
- अलका आर्य, जनसत्ता, 18 अक्टूबर, 2008, प्रकाशित दिल्ली, पृ. 6.
- द टाइम्स ऑफ इण्डिया, 10 अक्टूबर, 2010, पृ. 1.
- भारत में पंचायती राज में महिलाओं की सहभागिता, राष्ट्रीय महिला आयोग, 2001, पृ. 101
- वृंदा करात, हिन्दुस्तान, 20 जुलाई, 2002, दिल्ली.